अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

183/2019/निगरानी रामदेव वगै० V/s राज० सरकार व अन्य

तारीख पेशी	U/S 86 LRAct 2019/00183 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री लक्ष्मणनाथ योगी, एड० अपी० श्री श्री रामकिशोर स्वडाब - 2 धर्मवीर चौधरी, एo - 1	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
31.5.19	**रामदेव वगैरह बनाम राज.सरकार** नजरसानी प्रार्थना पत्र आदेशार्थ पेश हुआ। नजरसानी प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 की दिनांक 30.05.2019 को सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि न्यायालय के समक्ष जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांकःकअ / राजस्व / एफ.12(सी) / 13 / 2092 दिनांक 27.09.2013 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नारेली स्थित आराजीयात चौसाला खसरा नम्बर 3270 रकबा 5–00–00 बीघा जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 3590 रकबा 5–00–00 बीघा बनाये गए जिसके आधार पर खसरा नम्बर 1736 रकबा 0.70 एवं 1737 / 5528 मिन रकबा 0.11 है. कायम किये गए पर अपीलांटस के पिता मूला पुत्र तेजा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो अजमेर में दिनांक 15.06.1958 को प्रभाव में आने से पूर्व ही बहैसियत मौरूसी कृषक काबिज काश्त चले आ रहे थे जो जमाबंदी सम्वत 2015 से 2018 एवं 2019 से 2022 से सिद्व हैं एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 से 2042 एवं खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2017 से 2038 से लगातार कब्जा काश्त चला आना सिद्व है। उक्त भूमि पर मूला के पश्चात प्रार्थीगण लगातार काबिज काश्त चले आ रहें थे लेंकिन राजस्व एजेन्सी द्वारा अधिकार अभिलेख में अंकन नहीं किया गया जिसकी दुरूस्ती हेतु नियमित राजस्व वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी हेतु विचाराधीन है। जिसमें राज.सरकर प्रतिवादी के रूप में पक्षकार मुर्तिब है। इसके बावजूद जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा दिनांक 27.09.2013 को आदेश पारित कर उक्त आराजीयात अन्य भूमि के साथ अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमरे को हस्तांतरित कर दी गई जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 57 दिनांक 15.01.2014 को तस्दीक कर अमल दरामद कर दिया गया। न्यायालय हाजा से निवेदन किया गया था कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2013 के विरूद्ध अपील स्वीकार की जावे। न्यायालय हाजा ने उक्त पर बहस सुनने के पश्चात दिनांक 22.04.2019 को निर्णय में यह अंकित करते हुए कि प्रार्थीगण द्वारा धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त नहीं की गई है जिसके अभाव में अपील का निरस्त फरमा दिया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने यह नजरसानी याचिका प्रस्तुत की है। अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि बाबत् सक्षम न्यायालय के समक्ष उद्घोषणा खातेदारी हेतु नियमित राजस्व वाद विचाराधीन हैं जिसमें राज्य सरकार बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार मुर्तिब हैं एवं राज्य सरकार को वाद प्रस्तुती से पूर्व दिनांक 02.07.2011 को धारा 80 जा.दी. का नोटिस भी प्रदान किया गया है। जिससे वादग्रस्त आराजीयात में वाद प्रस्तुत के साथ ही प्रार्थीगण का लोकस सिद्ध हो चुका था जिससे मान्नीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत अपील के लिए धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नही था। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा द्वारा अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित था। जिससे उक्त नजरसानी याचिका के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. को स्वीकार कर, उक्त नजरसानी याचिका को स्वीकार फरमायी जाकर अपील को पुनः नम्बर पर ली जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरसानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 22.04.2019 निरस्त फरमा कर अपील को पुनः नम्बर पर ली जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। अभिभाषक प्रार्थी ने अपने पक्ष में मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 15.02.2012 बउनवानी श्रीमती बैगम वगैरह बनाम अल्ताफ हुसैन वगैरह की प्रति प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद बाबत् उद्घोषणा खातेदारी का प्रस्तुत कर रखा हैं जिसमें राज्य सरकार भी पक्षकार हैं इसलिए वादग्रस्त अराजीयात बाबत् वाद प्रस्तुत के साथ ही प्रार्थीगण का लोकस सिद्ध हो चुका है। .... राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	निरन्तर....

P.T.O.

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

183/2019/निगरानी   रामदेव V/s राज० सरकार व अन्य

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	U/S 86 LR Act 2019/00183 श्री लक्ष्मणनाथ योगी, एड० अपी० श्री श्री रामकिशोर खदाव -2 धर्मवीर चौधरी GA -1	

निरन्तर......

विद्वान अप्रार्थी सख्या 01 ने बताया कि प्रार्थीगण ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. प्रस्तुत नहीं किया तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद की प्रति प्रस्तुत की गई थी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.04.2019 विधि सम्मत था इसलिए नजरसानी याचिका खारिज की जावे।

विद्वान अप्रार्थी संख्या 02 ने भी राजकीय अभिभाषक के कथनो का समर्थन करते हुए नजरसानी याचिका को खाजिर किये जाने का निवेदन किया।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि बाबत् सक्षम न्यायालय में उद्घोषणा खातेदारी हेतु नियमित राजस्व वाद विचाराधीन है जिसमें राज्य सरकार बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार मुर्तिब हैं एवं राज्य सरकार को वाद प्रस्तुत से पूर्व दिनांक 02.07.2011 को धारा 80 जा.दी. का नोटिस भी जारी किया गया है। जिससे वादग्रस्त आराजीयात में वाद प्रस्तुत के साथ ही प्रार्थीगण का लोकस सिद्ध हो चुका था एवं अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होता है और वह उस निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करना चहता है तो उसे अपील पेश करने की अनुमति लेने के बारे में प्रार्थना पत्र पेश कर, अदालत से अनुमति लेनी चाहिए, जैसा मान्नीय राजस्व मण्डल ने 1993 आर.आर.डी पेज 232 में निर्णित किया है लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना पत्र पेश नहीं भी करता है और उस की बजाए उन सब बातों को अपील के ग्राउण्ड में लिख देता है और उसके बाद उसकी अपील एड़मिट हो जाती है तो उस सूरत में यह माना जायेगा कि अदालत द्वारा उसे पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी गयी है और इस आधार पर प्रार्थी की अपील निरस्त नहीं की जा सकती है। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर द्वारा आर.आर.ड़ी 1995 पेज 179 में यह प्रतिपादित किया गया है कि "Appellate order could not be set aside on the ground that permission to file appeal not been obtained earlier." इस प्रकार न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट की अपील संख्या 134/2015(2015/00233)बउनवानी रामदेव बनाम राज.सरकार, निर्णय दिनांक 22.04.2019 में अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निरस्त कर दी गई, जो उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में विधि सम्मत प्रतीत नहीं होती हैं। प्रार्थीगण ने नजरसानी प्रार्थना पत्र के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे स्वीकार किया जाता है एवं नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। उपरोक्त विवेचन अनुसार नजरसानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 22.04.2019 को निरस्त किया जाता हैं एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर